बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–17/विविध 1–51/2016 - 432(17) स्वा0, पटना, दिनांक :– 31/5/16

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07. 2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक–30.05.2016 की बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री गिरीन्द्र मोहन कुमार, आहार–विद्, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को संविदा के आधार पर उनकी सेवानिवृति की तिथि 31.05.2016 के उपरांत पूर्व धारित पद पर योगदान की तिथि से नियोजित किया जाता है।

2. यह नियोजन योगदान की तिथि से दो वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम् उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकता अनुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

3. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

4. इनके द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. इनके मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+ सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई राहत की राशि के घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही देय होगा, परंतु पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।

6. मानदेय का भुगतान कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष के व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

7. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

8. सेवानिवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

9. इन्हें सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेगी।

D/Sushil sir/Letter

10. इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

11. आदेश में प्रधान सचिव स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० 31/5/16

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–17/ विविध 1–51/2016 - 432(17)/ पटना, दिनांक :– 31/5/16

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0एवंह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/श्री गिरीन्द्र मोहन कुमार, आहार–विद्, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के निजी सहायक/संयुक्त सचिव के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 31/5/16

सरकार के संयुक्त सचिव।